संख्या-74जेएल/22-3-2026-ई-2005571

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 09-03-2026

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी सूर्यभान करवरिया पुत्र स्व0 वशिष्ठ मुनि करवरिया, निवासी जनपद-प्रयागराज को पुत्र के विवाह हेतु पूर्व स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2440/जे0ए0-पैरोल/2026, दिनांक 24-02-2026 एवं पत्र संख्या-2505/जे0ए0-पैरोल/2026, दिनांक 08-03-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज के सिद्धदोष बंदी सूर्यभान करवरिया (बंदी संख्या-513/19) पुत्र स्व0 वशिष्ठ मुनि करवरिया, निवासी जनपद-प्रयागराज को शासनादेश संख्या-13जेएल/22-3-2026-ई-2005571, दिनांक 21-01-2026 द्वारा पुत्र के विवाह हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) अवधि में 10 दिनों की वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।